बर व तारीख
अहकाम जो ईसे
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 18/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1. कजोड़मल पुत्र छोटक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर
2. जगनलाल पुत्र छोटक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर
3. रामेश्वर पुत्र छोटक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्राथीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का बीघोता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थीगण का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस बैरवा द्वारा तलब किया गया। अप्रार्थीगण कजोड़मल,जगनलाल, रामेश्वर पुत्रान छोटक्या जाति जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को पेश किया गया जिसमें अतिक्रमी भूमि को रेगुलाईज करने का निवेदन किया गया तथा अप्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत के लिए आज तक का समय दिया गया। आज अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहा अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। इस प्रकार की सरकारी खाते की भूमि का रेगुलाईज नहीं किया जा सकता है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का बीघोता के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाजरा बोकर कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी कजोड़मल,जगनलाल, रामेश्वर पुत्रान छोटक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बीघोता को आराजी ख0न0 869 रकबा 0.55 हे0 किस्म गैर मु0 राड़ा सिवायचक वाके ग्राम बीघोता से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान **1.10** की 50 गुणा में मु0 55.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी एवं फसल नीलामी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर एवं फसल कब्जे राज को नीलामी कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 16 पर सि.च. 55/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)